जिला–अररिया।

न्यायालय, जिला न्यायाधीश, प्रथम, अररिया।

एल0ए0 केस नम्बर– 03/2025
C.I.S. No.- 03/2025

राजेश्वर बहरदार, पिता– स्व0 किशुन लाल बहरदार,
साकिन– तीरा खरदह, वार्ड–1, थाना– सिकटी, जिला– अररिया।

.....आवेदक।

बनाम्

1. मिरचनिया देवी, पति– कैलू बहरदार, पिता– स्व0 किशुन लाल बहरदार
साकिन– तीरा खरदह, वार्ड–1, थाना– सिकटी, जिला– अररिया।

.....विपक्षी।

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री सुबोध कुमार कर्ण।

विपक्षीगण की ओर से विद्वान अधिवक्ता – श्री रंजीत कुमार।

निर्णय की तिथि – 22.06.2026.

उपस्थित **– शशि भूषण कुमार**,
अपर जिला न्यायाधीश, प्रथम,
अररिया।

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद राजेश्वर बहरदार, पिता– स्व0 किशुन लाल बहरदार, साकिन– तीरा खरदह, वार्ड–1, थाना– सिकटी, जिला– अररिया द्वारा, स्व0 किशुन लाल बहरदार द्वारा आवेदक राजेश्वर बहरदार के पक्ष में निष्पादित निबंधित वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 के आधार पर भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 276 के उपबंधों के अन्तर्गत अपने पक्ष में प्रशासन पत्र निर्गत करने हेतु दाखिल किया गया है।

2. संक्षेप में आवेदक का आवेदन यह है कि आवेदक के पिता किशुन लाल बहरदार, साकिन– तीरा खरदह, वार्ड–1, थाना– सिकटी, जिला– अररिया की मृत्यु अपने ग्राम में दिनांक 12.06.1997 को आवेदन पत्र के अनुसूचि संख्या–ए में वर्णित भूमि को छोड़कर हुई। उनकी मृत्यु के समय उनके एक पुत्र राजेश्वर बहरदार(आवेदक) तथा एक पुत्री मिरचनिया देवी थे।

मृतक किशुन लाल बहरदार नें दिनांक 14.05.1996 को अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं स्वस्थ मनोदशा की स्थिति में एक निबंधित वसीयतनामा आवेदक के पक्ष में निष्पादित किया जो उनका अंतिम वसीयतनामा था। मृत्यु के समय किशुन लाल बहरदार अपने ग्राम तीरा खरदह, वार्ड–1 में निवास करते थे। आवेदक द्वारा इस आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन इस न्यायालय में या किसी वरीय न्यायालय में प्रशासन पत्र या

प्रोबेट प्राप्त करने के लिए दाखिल नहीं किया गया है। उपरोक्त कथनों के साथ आवेदक नें अपने पक्ष में प्रशासन पत्र निर्गत करने की प्रार्थना किया है।

3. इस वाद में विपक्षी मिरचनिया देवी उपस्थित होकर अपना लिखित कथन दाखिल किया गया है।

4. विपक्षी मिरचनिया देवी नें अपने लिखित कथन में कहा है कि आवेदक उसका सगा भाई है। उसके पिता स्व0 किशुन लाल बहरदार की मृत्यु दिनांक 12.06.1997 को अपना निज घर तीराखारदह में हुई थी जिसका मृत्यु प्रमाण–पत्र वर्ष 2025 में निर्गत किया गया, तब उसके भाई नें यह वाद लाया। उसके पिता स्व0 किशुन लाल बहरदार नें अपने पूरे होश–हवास एवं स्वतंत्र मन से उसके एवं अन्य लोगों की उपस्थिति में दिनांक 14.05.1996 को राजेश्वर बहरदार के पक्ष में सादा कागज पर अपना जमीन का वसीयतनामा बना कर दे दिया और पिताजी की मृत्यु के पश्चात उसके भाई राजेश्वर बहरदार वसीयतनामा वाली जमीन पर दखलकार होते चले आ रहे हैं। वसीयतनामा वाली जमीन उसके पिता स्व0 किशुन लाल बहरदार का खतियानी जमीन था। दिनांक 14.05.1996 का वसीयतनामा प्रमोद सरपंच नें लिखा, लिखने के बाद पढ़कर सुनाया। जब उसके पिताजी वसीयतनामा में लिखी गई बातों से संतुष्ट हो गए तब उसने वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 पर अपना अंगूठा का निशान लगा दिया। इसके बाद मोती लाल बहरदार, हृदय बहरदार एवं कृपानंद बहरदार नें भी अपना हस्ताक्षर कर दिया। उसके भाई के नाम से जो उसके स्व0 पिताजी नें दिनांक 14.05.1996 को सादा कागज पर वसीयतनामा किया है वह बिल्कुल सत्य व सही है। यदि न्यायालय द्वारा उसके भाई राजेश्वर बहरदार के पक्ष में वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 को मंजूर किया जाता है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। उपरोक्त कथनों के साथ विपक्षी मिरचनियां देवी नें वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 के आधार पर आवेदक के पक्ष में प्रशासन पत्र निर्गत करने का समर्थन किया है।

5. उभय पक्षों के अभिवचनो के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु गठित एवं पुनर्गठित किया जाता है जो इस प्रकार हैः–

i. क्या यह प्रशासन पत्र वाद पोषणीय है?

ii. क्या आवेदक को प्रशासन पत्र वाद दाखिल करने का वाद कारण प्राप्त है?

iii. क्या वाद पक्षकारों के संयोजन या असंयोजन से बाधित है?

iv. क्या वाद परिसीमा अधिनियम एवं विबंध से बाधित है?

v. क्या निबंधित वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 वैध एवं मान्य है?

vi. क्या वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 के निष्पादन के समय किशुन लाल बहरदार की मानसिक एवं शारीरिक दशा ठीक थी और उक्त वसीयतनामा बिना किसी भय एवं दबाव के स्वस्थ मनोदशा की स्थिति में निष्पादित किया गया

था?

vii. क्या आवेदक अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है?

6. आवेदक नें अपने पक्ष में कुल दो मौखिक साक्षियों का साक्ष्य कराया है, जो इस प्रकार हैः–

पी0डब्लू0–01 – राजेश्वर बहरदार (आवेदक)

पी0डब्लू0–02– मोती लाल बहरदार उर्फ मति लाल बहरदार (वसीयतनामा के साक्षी)

आवेदक नें अपने पक्ष में निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किया है, जो इस प्रकार हैः–

प्रदर्श–01	किशुन लाल बहरदार का मृत्यु प्रमाणपत्र दिनांक 25.9.2025 का मूल प्रति।
प्रदर्श– 02	वंशावली स्व0 किशुन लाल बहरदार, पिता– स्व0 मनफुल बहरदार का मूल प्रति।
प्रदर्श– 03	वसीयतनामा की मूल प्रति।
प्रदर्श– 04	आर0एस0 खतियान का मूल प्रति।
प्रदर्श– 05	चकबंदी खतियान का मूल प्रति।

7. इस वाद में विपक्षी की ओर से किसी प्रकार का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

<u>मन्तव्य</u>

8. इस वाद के विनिश्चयन हेतु सर्वप्रथम वाद बिन्दु संख्या– v एवं vi का विवेचन एक साथ किया जाना प्रासंगिक प्रतीत होता है, क्योंकि वाद बिन्दु संख्या– v एवं vi एक दूसरे से सम्बद्ध है और एक के प्रमाणित या अप्रमाणित होने पर दूसरा वाद बिन्दु भी प्रभावित होता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या– v एवं vi</u>

वाद बिन्दु संख्या– v एवं vi में यह प्रश्न अन्तर्निहित है कि क्या वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 वैध एवं मान्य है तथा वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 के निष्पादन के समय किशुन लाल बहरदार की मानसिक एवं शारीरिक दशा ठीक थी और उक्त वसीयतनामा बिना किसी भय एवं दबाव के स्वस्थ्य मनोदशा की स्थिति में निष्पादित किया गया था? उक्त वाद बिंदुओं के विनिश्चय हेतु पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का एक साथ विवेचन किया जाना प्रासंगिक है।

9. आवेदक साक्षी संख्या–01 जो इस केस के आवेदक हैं, नें अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि उसके पिता किशुन लाल बहरदार की मृत्यु दिनांक 12.06.1997 को अपने नीज निवास स्थान तीराखरदाह में हुई जिसका मृत्यु प्रमाणपत्र सचिव, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, ग्राम पंचायत तीराखारदह के द्वारा दिनांक 25.09.2025 को अपने हस्ताक्षर एवं पंचायत के मोहर से निर्गत किया गया है। स्व0 किशुन लाल

बहरदार के मृत्यु प्रमाणपत्र को प्रमाणित किया गया है। किशुन लाल बहरदार नें उसके पक्ष में दिनांक 14.05.1996 को जो वसीयतनामा किया उस जमीन का पूर्ण स्वामित्व उसके पिता को ही था तथा वे पूर्ण रूपेन शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ थे और उक्त वसीयतनामा उनका अंतिम वसीयतनामा था। वसीयतनामा लिखवाने के बाद उसे पढ़कर सुनाया गया एवं पूर्ण संतुष्टि के बाद वे गवाहों के समक्ष अपना अंगूठा का निशान लगाए। साक्षी नें स्व0 किशुन लाल बहरदार के परिवार की वंशावली को प्रमाणित किया है। साक्षी वसीयतनामा वाली जमीन पर शांतिपूर्ण दखलकार होते चले आ रहे हैं। उक्त साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 12 एवं 13 में कथन किया है कि जमीन से संबंधित सारे कागजात वह दाखिल किया है। वसीयत केवल उसे पक्ष में थी। वसीयतनामा प्रमोद सरपंच के द्वारा लिखा गया था।

10. आवेदक साक्षी संख्या–02 जो वसीयतनामा के साक्षी हैं, नें अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि, वह दोनों पक्षों को जानता है। दिनांक 14.05.1996 को किशुन लाल बहरदार मानसिक एवं शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ थे और उन्होंने अपनी इच्छा से बिना किसी दबाब के उक्त तिथि को उसके समक्ष अपनी जमीन का वसीयतनामा अपने पुत्र राजेश्वर बहरदार के पक्ष में किया। किशुन लाल बहरदार के कहने पर कातिब प्रमोद सरपंच नें उसके समक्ष वसीयतनामा लिखा और कातिब के रूप में अपना हस्ताक्षर किया। वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 के मजमून को पढ़कर किशुन लाल बहरदार नें उसके समक्ष वसीयतनामा पर अपना अंगूठा का निशान लगाया था और वह पहचानकर्ता के रूप में हस्ताक्षर किया था तथा गवाह के रूप में कृपानंद बहरदार और हृदय बहरदार नें अपना–अपना हस्ताक्षर किया। उक्त साक्षी नें सभी के हस्ताक्षर की पहचान किया है। साक्षी नें अपने प्रतिपरीक्षण की कंडिका 06 एवं 07 में कहा है कि किशुन लाल को एक लड़का और एक लड़की है। वसीयतनामा वाली जमीन किशुन लाल का खतियानी जमीन है। वसीयतनामा हाथ से लिखा गया था।

12. आवेदक साक्षी संख्या 02 के साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आवेदक के पिता स्व. किशुन लाल बहरदार के द्वारा दिनांक 14.05.1996 को राजेश्वर बहरदार के पक्ष मे एक वसीयतनामा निष्पादित किया था। साक्षियों के साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि वसीयतनाता दिनांक 14.05.1996 के निष्पादन के समय किशुन लाल बहरदार स्वस्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक अवस्था मे थे तथा उनके द्वारा बिना किसी दबाव एवं भय से उक्त वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। विपक्षीगण के द्वारा आवेदक साक्षी संख्या 01 एवं 02 का प्रतिपरीक्षण किया गया है, परन्तु प्रतिपरीक्षण से ऐसा कोई तथ्य प्रकट नही होता है कि वसीयतनामा के निष्पादन के समय किशुन लाल बहरदार की मानसिक एवं शारीरिक दशा ठीक नही थी अर्थात् वह स्वस्थ्य नही थे तथा उनके द्वारा भय एवं दबाव मे उक्त वसीयतनामा निष्पादित किया गया था। यहॉ यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य

प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह प्रतीत हो कि वसीतयनामा के निष्पादन के समय किशुन लाल बहरदार का मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य ठीक नही था। विपक्षी द्वारा अपने अभिवचन में वसीयतनामा के निष्पादन के तथ्य को स्वीकार किया गया है।

प्रदर्श–3 जो मूल वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 की मूल प्रति है इससे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि वसीयतनामा दो साक्षियों अर्थात् कृपानंद बहरदार एवं हृदय बहरदार की उपस्थिति में निष्पादित किया गया और वसीयतनामा के दस्तावेज के लिपिकार प्रमोद सरपंच थे तथा मोती लाल बहरदार नें वसीयतनामा पर पहचानकर्ता के रूप में अपना हस्ताक्षर किया था।

प्रदर्श–1 जो किशुन लाल बहरदार के मृत्यु प्रमाण–पत्र की छायाप्रति है, उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि किशुन लाल बहरदार की मृत्यु दिनांक 12.06.1997 को हो चुकी है। उक्त तथ्य की पुष्टि आवेदक की ओर से प्रस्तुत साक्षियों नें भी किया है। साक्ष्य से यह तथ्य भी प्रमाणित होता है कि मृत्यु के समय किशुन लाल बहरदार ग्राम– तीरा खरदह, वार्ड–1, थाना– सिकटी, जिला– अररिया में निवास कर रहे थे।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि किशुन लाल बहरदार ने स्वस्थ्य मनोस्थिति एवं शारीरिक दशा मे आवेदक के पक्ष में अपनी जमीन का वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 आवेदक के पक्ष मे निष्पादित किया और किशुन लाल बहरदार के निर्देशानुसार कातिब प्रमोद सरपंच ने वसीयतनामा दस्तावेज को तैयार किया और उक्त दस्तावेज पर किशुन लाल बहरदार ने साक्षियों के समक्ष अपना अंगूठा का निशान लगाया तथा वसीयतनामा के साक्षी हृदय बहरदार एवं कृपानंद बहरदार ने भी वसीयतनामा पर हस्ताक्षर किया। इस वाद मे प्रतिवाद कर रहे विपक्षी की ओर से ऐसा कोई मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है, जिससे यह तथ्य प्रमाणित हो कि किशुन लाल बहरदार वसीयतनामा के निष्पादन के समय मानसिक एवं शारीरिक रूप से अस्वस्थ थे तथा उनके सोचने एवं समझने की शक्ति बीमारी के कारण प्रभावित थी।

उपरोक्त तथ्यों से यह साबित होता है कि किशुन लाल बहरदार के द्वारा निष्पादित वसीयतनामा वैध एवं प्रवर्तनशील है तथा किशुन लाल बहरदार ने अपने स्वस्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक अवस्था मे बिना किसी भय एवं दबाव के उक्त वसीयनामा निष्पादित किया था, वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 किशुन लाल बहरदार के द्वारा निष्पादित अंतिम वसीयतनामा है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या– v एवं vi आवेदक के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या– i, ii एवं iii</u>

वाद बिन्दु संख्या– i, ii एवं iii एक–दूसरे पर आश्रित है, इसलिए उक्त वाद

बिन्दुओं का एक साथ विवेचन करना प्रासंगिक। जहॉ तक इस प्रशासन पत्र वाद के पोषणीयता एवं वाद कारण का प्रश्न है, तो वाद बिन्दु संख्या– v एवं vi के विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित हुआ कि किशुन लाल बहरदार ने अपने स्वस्थ्य, मानसिक एवं शारीरिक दशा में अपनी निजी भूमि का वसीयतनामा आवेदक के पक्ष मे स्वतंत्र इच्छा से बिना किसी भय एवं दबाव के निष्पादित किया है। उक्त वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 वैध, मान्य एवं प्रवर्तनशील है। विपक्षी की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है और न ही बहस के क्रम मे कोई तथ्य प्रकट किया गया है, जिससे यह प्रमाणित हो कि वाद पोषणीय नही है तथा आवेदक को वाद दाखिल करने का वाद कारण प्राप्त नहीं था। उपरोक्त तथ्यों से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि यह वाद पोषणीय है तथा आवेदक को वाद दाखिल करने का वाद कारण प्राप्त है और वाद पक्षकारों के संयोजन या असंयोजन से बाधित नही है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या– i, ii एवं iii आवेदक के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

<u>वाद बिन्दु संख्या– iv एवं vii</u>

वाद बिन्दु संख्या– i से vi के विवेचन एवं परिशीलन से तथा आवेदक एवं विपक्षीगण की ओर से प्रस्तुत समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विवेचन से यह तथ्य साबित हुआ है कि किशुन लाल बहरदार ने स्वस्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक दशा की स्थिति मे दिनांक 14.05.1996 को आवेदक राजेश्वर बहरदार के पक्ष मे वसीयतनामा स्वतंत्र इच्छा से निष्पादित किया है। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है, जिससे यह प्रमाणित हो कि वाद परिसीमा अधिनियम एवं विबंध से बाधित है। उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित होता है कि यह वाद परिसीमा अधिनियम एवं विबंध से बाधित नही है तथा आवेदक प्रशासन पत्र के अलावा अन्य कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नही है। तदनुसार वाद बिन्दु संख्या– iv एवं vi आवेदक के पक्ष मे निर्णित किया जाता है।

आदेश

उपरोक्त विवेचन से यह तथ्य साबित हुआ कि किशुन लाल बहरदार नें स्वस्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक अवस्था मे दिनांक 14.05.1996 स्वतंत्र इच्छा से आवेदक के पक्ष मे अपनी अर्जित सम्पति का वसीयतनामा निष्पादति किया है। उक्त वसीयतनामा वैध एवं प्रवर्तनशील है। अतः आवेदक के पक्ष मे प्रशासन–पत्र निर्गत करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय नियमानुसार अपेक्षित न्यायशुल्क जमा करने के पश्चात् वसीयतनामा दिनांक 14.05.1996 का प्रशासन–पत्र तैयार करे, उक्त प्रमाण–पत्र निबंधित वसीयतनामा का अंश समझा जायेगा।

sd/-
(शशि भूषण कुमार)
जिला न्यायाधीश, प्रथम,
अररिया। 22.06.2026

sd/-
(शशि भूषण कुमार)
जिला न्यायाधीश, प्रथम,
अररिया। 22.06.2026